

**न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर (म.प्र.)
आदेश**

कमांक/७०/सी.जे.एम./२३

जबलपुर, दिनांक-

सार्वजनिक अवकाश के दिनों में 03:00 बजे से 05:00 बजे तक रिमाण्ड कार्य निष्पादित करने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है। निम्न कॉलम में दर्शाये गए न्यायिक मजिस्ट्रेट नियत दिनांक पर अपने स्टाफ सहित दोपहर 03:00 बजे से 05:00 बजे तक स्वयं के न्यायालय में उपस्थित होकर सभी न्यायालय के रिमाण्ड कार्य जो उक्त दिनांक को प्रस्तुत किए जावेंगे, निष्पादित करें :-

क	न्यायिक मजिस्ट्रेट	दिनांक	क	न्यायिक मजिस्ट्रेट	दिनांक
1	श्री वेद प्रकाश सगर	01.10.2023	10	श्री धन कुमार कुडोपा	05.11.2023
2	श्रीमती मृणालिनी सिंह	02.10.2023	11	श्री मनीष कुमार सिंह	10.11.2023
3	सुश्री संजना मालवीय	08.10.2023	12	श्रीमती सरिता जतारिया	11.11.2023
4	श्रीमती रुचि गोलस सगर	15.10.2023	13	सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना	12.11.2023
5	श्रीमती विधि डागलिया	21.10.2023	14	श्री अरविंद सिंह टेकाम	13.11.2023
6	श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा	22.10.2023	15	श्रीमती श्वेता तिवारी	14.11.2023
7	श्रीमती नमिता बौरासी	23.10.2023	16	सुश्री श्रद्धा पाण्डेय	15.11.2023
8	श्रीमती तबस्सुम खान	24.10.2023	17	श्रीमती प्राची चौधरी	18.11.2023
9	श्रीमती ज्योत्सना आर्या	29.10.2023	18	श्री भूपेन्द्र सिंह	19.11.2023
			19	श्रीमती किरण मलिक	26.11.2023
			20	श्रीमती नेहा तोमर सिंह	27.11.2023

सिहोरा न्यायालय

क	मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक						
1	सुश्री रेशमा खातून	01.10.23	15.10.23	23.10.23	05.11.23	12.11.23	15.11.23	26.11.23
2	सुश्री श्रुष्टि अग्निहोत्री	02.10.23	21.10.23	24.10.23	10.11.23	13.11.23	18.11.23	27.11.23
3	सुश्री उर्वशी यादव	08.10.23	22.10.23	29.10.23	11.11.23	14.11.23	19.11.23	

पाटन न्यायालय

क	मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक				
1	श्री दशरथ सिंह मिडे	22.10.23	29.10.23	11.11.23	14.11.23	19.11.23
2	श्रीमती रीतिका शर्मा	23.10.23	05.11.23	12.11.23	15.11.23	26.11.23
3	सुश्री उजाला झा	01.10.23	02.10.23	08.10.23	15.10.23	21.10.23
4	श्री रवि कुमार साहू	24.10.23	10.11.23	13.11.23	18.11.23	27.11.23


1. सार्वजनिक अवकाश दिवस में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 के अंतर्गत दंडित/विचाराधीन बंदी की मृत्यु के संबंध में मर्ग जाँच कराये जाने हेतु केन्द्रीय जेल जबलपुर/आरक्षी केन्द्रों से प्रस्तुत आवेदन/जानकारी के संबंध में उल्लेखित है कि जिस दिवस को आवेदन/जानकारी प्राप्त होगी उस दिवस को रिमांड डियूटी करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट मर्ग जाँच निष्पादित करेंगे यदि सूचना रिमांड समयावधि में प्राप्त होती है तो अपनी सुविधानुसार रिमांड समयावधि पश्चात या अगले दिवस में मर्ग जाँच उन्ही न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा निष्पादित की जायेगी, जिनकी रिमांड डियूटी में आवेदन पेश हुआ हो।

2. यदि किसी कारणवश संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर नियत दिनांक को रिमाण्ड डियूटी करने में असमर्थ रहते हैं और रिमांड डियूटी हेतु आपसी सहमति से परिवर्तित करते हैं, तो दोनों न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित सूचना समय पूर्व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेंगे।

3. यदि किसी कारणवश सूची में दर्शित उपरोक्त तिथि में सार्वजनिक अवकाश निरस्त कर उसके स्थान पर अन्य अवकाश तिथि निर्धारित की जाती है तो जिस तिथि को न्यायिक मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड डियूटी थी वह न्यायिक मजिस्ट्रेट घोषित नवीन अवकाश तिथि पर रिमांड डियूटी करेंगे।


4. यदि किसी कारणवश सूची में दर्शित तिथि के अलावा अन्य सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाता है तो उस दिनांक को जिला न्यायालय जबलपुर में **श्रीमती श्रद्धा पाण्डेय**, न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर रिमाण्ड कार्य निष्पादित करेगी, यदि किन्हीं कारणवश श्रीमती श्रद्धा पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर भी अवकाश पर रहती है, तो **सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना**, न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर, रिमाण्ड कार्य निष्पादित करेंगी एवं तहसील पाटन न्यायालय में **श्रीमती रीतिका शर्मा खरे** न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं तहसील सिहोरा न्यायालय में **सुश्री उर्वशी यादव**, न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड कार्य निष्पादित करेगी।

5. रिमांड न्यायालय अपने न्यायालय की रिमाण्ड डियूटी जिस दिनांक को, की जानी है, उसकी सूचना अपने न्यायालय के रिमाण्ड पेनल सूची के अधिवक्ताओं को प्रदान करें।


(आलोक प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर

प्रतिलिपि—

- 1— माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2— श्री न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर/सिहोरा/पाटन।
- 3— अध्यक्ष/सचिव जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर एवं जिला अभियोजन अधिकारी जबलपुर।
- 4— जिला नाजिर जबलपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
- 5— जूनियर सिस्टम ऍनालिसिस जबलपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


(आलोक प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर